

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, ग्रामीण
प्रकरण संख्या :- 17/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड, 27 बीकेसी, 27 जी ब्लॉक बांदा कूर्ता कॉम्प्लेक्स बांदाईष्ट मुम्बई महाराष्ट्र
शाखा कार्यालय प्रथम तल 232-233, एसडीसी टावर निगर आम्बपाली सर्किल हनुमान नगर जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. लखन सारवान पुत्र श्री बसन्ती लाल हरिजन,
 2. मुन्नी
- पता :- न्यू कॉलोनी, आंधी, मेन रोड पे, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपरोक्त श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 12.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था फुल्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2019 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मुन्नी देवी के स्वामित्व की संपत्ति आबादी भूमि का पट्टा नम्बर 12 ग्राम आंधी ग्राम पंचायत, आंधी तहसील, जमवारासगढ़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 205.55 वर्गगज को बन्धक रख कर 4,32,219/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था को ऋण मुग्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। फुल्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जरिये असाईनमेन्ट एग्जीमेन्ट दिनांकित 28.03.2023 को अप्रार्थी का ऋण खाता कोटक महिन्द्रा बैंक को स्थानान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज मुग्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 04,32,219/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (ग्रामीण)



में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 4.05.245/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.01.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया है और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मुन्नी देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति आबादी भूमि का पट्टा नम्बर 12 ग्राम आंधी ग्राम पंचायत, आंधी तहसील, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 205.55 वर्गगज आबादी भूमि का पट्टा नम्बर 12 ग्राम आंधी ग्राम पंचायत, आंधी तहसील, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 205.55 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलावे हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



५१०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (ग्रामीण)